

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही हैं। यदि निम्नलिखित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का उनके नाम सामने अंकितानुसार पद हेतु चयन हो जाता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं हैं।

क्रसं	कार्मिक का नाम व्याख्याता	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	विषय	जन्मतिथि	विवरण
1	बसन्त कुमार	क्यासरा-झालावाड़	इतिहास	30.04.84	आरपीएससी द्वारा आयोज्य प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 में शामिल होने हेतु
2	प्रेम सिंह राठौड़	कोटड़ी-जैसलमेर	इतिहास	09.08.87	आरपीएससी द्वारा आयोज्य प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 एवं आरएस 2018 में शामिल होने हेतु

यदि उक्त व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का चयन उनके नाम के सामने अंकितानुसार सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य हैं।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 04.9.2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इति0-वाणि0/अनापति/2019-20

प्रतिलिपि:-निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 4 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक
- 5 रक्षित/निजी कार्मिक


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर